(48)

प्र/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/0247

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

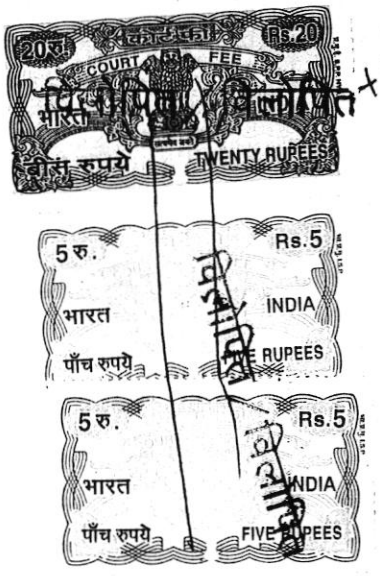

अधि० रजनीश तिवारी
द्वारा पेश 05-1-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1– मुन्नीलाल पिता रामाधार केवट

2–प्रेमलाल पिता रामाधार केवट

3–रामगणेश पिता रामाधार केवट

4–मुस0 छोरनिया बेबा रामानुज केवट

5–अरूण तनय रामानुज केवट

6– कमलेश तनय रामानुज केवट

7–अखिलेश तनय रामानुज केवट

8– रामदरश पिता सोनई केवट

9–राजेश पिता रामदरस केवट

10–रामजय पिता सोनई केवट

11–रामनिधि पिता गैवी केवट

12– रामकरण पिता गैबी केवट

13– रामरविरोधन पिता भूषण केवट

14– बुद्वसेन पिता भूषण केवट

15– रामलखन पिता भूषण केवट

सभी निवासी ग्राम पांती मिश्ररान थाना व तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

––– आवेदकगण

बनाम

1–रामकुशल पिता हीरामणि केवट | सा0 पांती मिश्ररान तह0 हनुमना

2–शिवकरण पिता हीरामणि केवट | जिला रीवा म0प्र0

3–सीताशरण पिता हीरामणि केवट

4– गंगोत्री पुत्री रामानुज हाल मुकाम गोइडार तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

5– मंगलावती पति लालबहादुर पुत्री रामानुज सा0 पांती मिश्ररान तह0 हनुमना

6– गुलाबकली पति सुग्रीव केवट सा0 पांती मिश्ररान तह0 हनुमना

7– सीमा पति लालता केवट पुत्री रामानुज सा0 हाटा तह0 हनुमना

8– मीना पति मनीश केवट पुत्री रामानुज सा0हाटा तह0 हनुमना

5-1-18

9– प्रेमवती पति वंशमणि केवट पुत्री रामानुज सा0 अल्हरा खुर्द तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

——— **अना0गण**

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 30/11/17 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क0 230/अपील/17–18 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0सन् 1959ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित हैः–

1– यह कि अपर कमिश्नर रीवा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं निरस्त योग्य है।

2– यह कि उक्त निगरानी प्रकरण दिनांक 09/11/17 को पुर्नस्थापित कर दिया गया एवं अनावेदकों को एवं रिकार्ड आहूत करने बाबत आदेश दिया गया । रिकार्ड आहूत करने सम्बन्धी मांग पत्र भी जारी कर दिया गया जो आर्डरसीट दिनांक 09/11/17 में लेख है । यानी अपील सुनवाई में ग्राह्य कर ली गई । प्रकरण जब दर्ज हो गया तब पुनः बिना वैधानिक प्रक्रिया के उसे वाद में अग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

3– यह कि आवेदकान निगरानी कर्ता या उसके अधिवक्ता को कैवियट दायर करने की कोई सूचना व्यवहार प्रक्रिया संहिता के धारा 148 के प्रावधान के मुताविक रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त नहीं हुई । फाइल में प्रस्तुत कैवियट के मुताविक अपील की ग्राह्यता पर सुनवाई पुनः प्रारंभ करने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक पूर्व आदेश दिनांक 09/11/17 को जो पारित हुआ है, उसे निरस्त न कर दिया जाय, पर उक्त प्रकरण में बिना पूर्व आदेश दिनांक 09/11/17 को निरस्त करते हुए दिनांक 30/11/17 को प्रकरण जिन आधारो पर अग्राहय किया गया है वह पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

4– यह कि अधीनस्थ न्यायालय को उनके ही द्वारा पारित पूर्व के आदेश दिनांक 09/11/17 को निरस्त करने की अधिकारिता धारा 32 के तहत नहीं है । आदेश का पुर्नबिलोकन करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृत लेना आवश्यक है।

5– यह कि प्रारंभिक स्टेज की सुनवाई में मातहत अदालत के समक्ष अधीनस्थ न्यायालयों की प्रकरण पत्रिका जो मंगाई गई थी का अवलोकन किये बिना ही यह निष्कर्ष देने में विधिक भूल की जांच उपरांत कब्जा वापसी का आदेश दिया गया है यह निष्कर्ष अन्तिम सुनवाई बाद ही दिया जाना चाहिये था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

(५५)

II / निग / 2018 / भू0रा0 / रीवा / 2018 / 247

मुन्नीलाल विरूद्ध रामकुशल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–6–2018	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण दिनांक 9–11–17 को सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जाने के पश्चात अनावेदक के आवेदन पर पुनः कायमी पर सुना जाकर दिनांक 30–11–17 को ग्राह्यता के बिन्दु पर ही अपील खारिज कर दी गई है। एक बार प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य होने के पश्चात प्रकरण का अंतिम निराकरण होना चाहिए, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा एक बार अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य करने के उपरांत अंतिम निराकरण न खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–11–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत अपील का गुण–दोषों पर निराकरण करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 21/6/18 (आर0 के मिश्रा) सदस्य	